प्रेषक,

डॉ0 सारिका मोहन,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 07 नवंबर, 2025

विषयः केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की SNA-SPARSH प्रणाली के अंतर्गत अग्रिम भुगतान एवं तत्संबंधी प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से क्रिन्यावन के सम्बन्ध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26.09. 2025 के प्रस्तर-3(ख)(5) में कहा गया है कि यदि किसी योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गयी है, तो ऐसे मामलों में अग्रिम भुगतान की अनुमति होगी एवं शासनादेश संख्या-14/2025/बी-1-1100/दस-2025 दिनांक 14.10.2025 के प्रस्तर-5 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.09.2025 द्वारा निर्गत FAQ में अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित स्पष्टीकरण का सन्दर्भ देते हुए निर्माण कार्यों हेतु निर्माण एजेन्सियों को अग्रिम भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

2- कतिपय विभागों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रिन्यावन हेतु अग्रिम भुगतान किया जाना अपरिहार्य होता है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-235/ दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.06.2011, शासनादेश संख्या-12/2017-ए-1-873/ दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 एवं उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 में वर्णित परिस्थितियों में अग्रिम भुगतान की व्यवस्था के अनुसार भी अग्रिम भुगतान किये किये जा सकेंगे।

3- SNA SPARSH के माध्यम से क्रिन्यावित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु धनराशि अन्तरण एवं भुगतान के सम्बन्ध प्रशासकीय विभाग द्वारा यथावश्यक सुविचारित व्यवस्था निर्धारित करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे, परन्तु उक्त दिशा निर्देश वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन रहेंगे। यह ध्यान रखा जाये कि SNA SPARSH के अन्तर्गत निधियों के अन्तरण एवं भुगतान की प्रक्रिया फंड-फ्लो की व्यवस्था है, इसमें विभिन्न स्तरों पर वित्तीय अधिकारो के प्रतिनिधायन एवं दायित्व तत्सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

4- दिनांक 26-09- 2025 एवं शासनादेश दिनांक 14.10.2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।उक्त शासनादेशों की अन्य सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

भवदीया,

डॉ0 सारिका मोहन
सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्रसं0-15/2025/बी-1-1383(1)/दस-2025, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी,साइबर ट्रेजरी, उत्तर प्रदेश
5. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उ०प्र०, शासन।
6. उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।